ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 279-282
ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- III, Issues-25, YEAR- July-Sept.-2022

कामकाजी महिलाओं की भूमिका संघर्ष के बीच सशक्तिकरण अधिकार : एक समाजशात्रीय अध्ययन

डॉ0 सीमा शुक्ला
असिस्टेंट प्रोफेसर– समाजशास्त्र विभाग, श्री देवी प्रसाद स्नातकोत्तर महाविद्यालय जंघई, प्रयागराज (उ0प्र0) भारत

Received-12.09.2022, Revised-17.09.2022, Accepted-23.09.2022 E-mail: aaryvart2013@gmail.com

सारांशः – *आज के बदलते युग मे मजदूर महिलायें सड़को पर मुट्ठी बॉधकर आक्रोश के साथ मंचो पर अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने में सक्षम है। एक प्रस्थिति धारण करने के कारण व्यक्ति जो कार्य करता है, वह उस पद की भूमिका है। कामकाजी महिलाओं की विविध भूमिका का निर्वाह उन्हे कम या अधिक भूमिका संघर्ष की स्थिति में ला देता है, जैसे उनके पारिवारिक व वैवाहिक जीवन, सन्तान सम्बन्धी भूमिका संघर्श की स्थिति मे ला देता है,जैसे उनके पारिवारिक वैवाहिक जीवन सन्तान सम्बन्धी एवं स्वास्थ सम्बन्धी दायित्व, निजी नौकरी एवं कामकाज के श्रोत प्रभावित होते हैं। महिलाये कामकाजी हों तो उसका लाभ उन्हे स्वयं को प्राप्त होता है साथ ही पुरूषों की चिन्तायें भी कम हो जाती है और पारिवारिक आय पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। बच्चों को अच्छी व उच्च शिक्षा के साधन प्राप्त होते हैं। तथा महिलाओं की वृद्धावस्था की परेशानियॉ भी दूर हो जाती है। सब समस्याओं को ध्यान मे रखते हुये महिलाओं को अपने समय पर उचित प्रबन्धन भी करना होता है जिसके विना वे अपने किसी कार्य को सरलता पूर्वक कर नहीं सकती। कामकाजी होने के कारण उन्हे प्रत्येक कार्य पर विचार करना पड़ता है कि कौन सा कार्य कैसे, क्या, कब करें। महिलाये एक ही समय मे कई प्रकार के कार्यों का अपने समय के साथ प्रबन्धन कर लेती हैं। पारिवारिक सामाजिक एवं कामकाजी जीवन मे विभिन्न चुनौतियो व तनावों का सामना करते हुये कामकाजी महिलाये अपने कार्यो पर ध्यान केन्द्रित कर सभी कार्य करने के लिये उचित समय प्रबन्धन करा के अपने परिवार की और समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है। जब वह अपनी विविध भूमिका में वे असमायोजन एवं अन्तर्द्वन्द महसूस करती है, तो कामकाजी महिलाओ की भूमिका संघर्श की स्थिति से गुजरना पड़ता है।*

कुंजीभूत शब्द– प्रस्थिति, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, आय, प्रबन्धन, संस्थान, भूमिका, नौकरी, सामाजिक, कृषि, खेतीहर।

प्रस्तावना– प्राचीन समय मे महिलाओं को घर के बाहर काम करने के लिये जाने नही दिया जाता था, उसका मूल कार्य घर मे रह कर घर के काम काज करना था। महिलाये चूल्हों पर भोजन पकाती थी। तथा सामान्य रूप से संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन था। परिवार बड़ा होने के कारण प्रायः छोटे– बड़े सभी कार्य घर की महिलाओं को ही करने होते थे।

भारतीय समाजिक संरचना पुरूष प्रधान है। पुरूष घर से बाहर काम करने जाते हैं एवं महिलाये अपने घरेलू कार्य को सम्भालने मे लगी रहती है। बच्चो का पालन पोषण एवं परिवार की आवश्कताओं की पूर्ति करना उनका मुख्य कार्य है। आर्थिक उपार्जन उनका कार्य क्षेत्र नही रहा है। यद्पि इस तथ्य से इनकार नही किया जा सकता कि प्राचीन काल से ही महिलायें प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं एवं कृशि कार्य मे संलग्न रही है। आधुनिक युग मे महिलायें कामकाजी होने के साथ –साथ सफल गृहिणी भी सिद्ध हो रही है लेकिन कभी किसी ने ध्यान नही दिया होगा कि महिलाये किस प्रकार सभी कार्यों का समायोजन करती होंगी। वर्तमान युग मे कामकाजी महिलाये बदलते हुये वैश्विक दौर मे समय के साथ बदलते परिवेश के साथ अपना सामंजस्य करने मे सक्षम हो रही हैं। सरकारी या निजी कार्यस्थल व घर के काम मे अपने प्रबन्धन की भूमिका बखूबी से निभाती हैं।

धीरे–धीरे शिक्षा का विकास होने लगा, नवीन तकनीकी प्रकाश से पुरूषो के समान प्रत्येक क्षेत्र मे महिलायें भी आगे आने लगीं। भारत मे औसतन प्रत्येक घर की महिलाये घर के बाहर या घर पर कुछ न कुछ आय अर्जन करने मे लगी है। साथ–साथ अपने निजी जीवन को भी गतिशील रखने मे प्रयास करती है। कामकाजी महिलाये अपने परिवार और अपने भविष्य को सॅवारने के लिये कार्य करती है। इतनी महॅगाई के युग मे केवल घर के पुरूष की आय पर ही निर्भर रहना और उस पर खर्च का बोझ लादना अकेले बैल से खेत जुतवाने के समान है।

वर्तमान मे महिला शिक्षा के बढ़ते प्रभाव मे क्रमशः 2001 से 2011 मे भारत मे महिला साक्षरता 64.6 प्रतिशत रही है। जिसमे ग्रामीण क्षेत्र मे 57.9 प्रतिसत तथा शहरी क्षेत्र में 79.1 प्रतिशत रही है। महिला शिक्षा के बढ़ते स्तर में महिलाओं को कामकाजी होने की प्रेरण दी। फलतः उनकी प्रवृति कामकाजी हो गई है। आज वे विविध भूमिका का निर्वाह कर रही है। आज वे सभी क्षेत्रो मे पुरूषों के समान पदों पर आसीन है। राजनीतिक सत्ता का क्षेत्र हो या आई0 ए0 एस0 आफिसर की कुर्सी, अभिनय की अभिव्यक्ति हो या नृत्यांगना का नृत्य, साहित्य का क्षेत्र, ललित कला, ऑगन, राग रागिनीयॉ की सरगम हो या चित्रकारी, चिकित्सक या कानूनी सलाहकार प्रशासन का क्षेत्र हो या शिक्षिका, प्रोफेसर का दायित्व, ज्ञान विज्ञान हो या कलात्मक प्रस्तुति महिलाओं के कामकाज का विस्तार सभी क्षेत्रो मे हुआ है। कामकाजी महिलायें अपनी योग्यता से न केवल

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- III, Issues-25, YEAR- July-Sept.-2022

धन अर्जित करती है अपितु वे अर्जित धन से पारिवारिक आर्थिक संरचना मे अपना योगदान कर आर्थिक संबल प्रदान करती है। महिलाओं का उपार्जन आर्थिक क्षेत्र मे उनकी आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित करता है।

प्रस्तुत शोध पत्र का प्रमुख उद्देश्य कामकाजी महिलाओं की भूमिका संघर्ष और प्रबन्ध का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है।

उद्देश्य–

1. कामकाजी महिलाओ के कामकाजी और निजी जीवन मे समायोजन की स्थिति ज्ञात करना ।
2. कामकाजी महिलायें संयुक्त/एकल परिवार मे भूमिका संघर्ष को ज्ञात करना।
3. कामकाजी महिलाओं के कानूनी अधिकार को ज्ञात करना।
4. कामकाजी महिलाओं की व्यवसायिक भूमिका का मूल्यांकन करना।
5. महिला सशक्तिकरण के उपायो/निराकरण के सुझाव को अवगत करना।

अध्ययन विधि– द्वितीयक समंको का स्त्रोत सेन्सस आफ इन्डिया, संख्यिकी विभाग, इंटरनेट, जर्नल, पत्र पत्रिकाओं मे प्रकाशित आंकड़ो का विश्लेषण करना।

साहित्य समीक्षा– सत्यशील अग्रवाल (2016)–"भारतीय कामकाजी महिलाओं की समस्याओं " ने बताया कि भारत मे महिलाओं मे शारिरिक व मानसिक स्वास्थ्य के कारण प्रसव के दौरान उन्हे जीवन गवॉना पड़ता है, अर्थात – महिलाओं की स्थिति मे सुधार की आवश्यकता है रचनाकार (2015)–"भारत मे महिलाओं की वर्तमान स्थिति की सामाजिक विवेचना " ने अपने लेख मे महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक स्थिति की मुख्य धारा मे लाने के लिये उनकी सोच मे मूलभूत परिवर्तन, आत्म निर्भरता और स्वावलम्बन की आवश्यकता है "। मोनिका देव (2014)–"भारत मे असंगठित क्षेत्र मे महिला श्रमिको की स्थिति" शोध मे बुनियादी ढ़ॉचा, गरीबी उन्मूलन, कौशल विकास और स्वास्थ्य सुविधा मे वैश्वीकरण के साथ जोड़ना है।

कामकाजी महिलाओं की भूमिका– कामकाजी महिलायें उच्च जीवन स्तर एवं अपने जीवन से सन्तुष्ट होती है। उन्हे न संकट का सामना करना पड़ता है और न किसी प्रकार के वे मानसिक दबाव से मुक्त होती है। यह एक भ्रमपूर्ण धारणा है। जीवन मे किसी भी पहलू का वर्तमान भौतिक, सामाजिक– सांस्कृतिक मे कोई न कोई ऐसी स्थिति बनती है जहॉ उन्हे भूमिका संघर्श का सामना करना पड़ता है। भूमिका संघर्श थोडी मात्रा मे हो या अधिक मात्रा में किन्तु वह कामकाजी महिलाओं के जीवन से जुड़ा होता ही है। कोई भी व्यक्ति अपनी भूमिका निर्वाह मे परिपूर्ण नही होता। काम के दौरान कुछ न कुछ ऐसा घट ही जाता है कि कुछ कांम ऐसे ही आसानी से हो जाते हैं और कुछ उपेक्षित रह जाते हैं जिन्हे पूर्ण करना भी उनके लिये आवश्यक होता है। उन्हे अपनी भूमिका मे इस संघर्ष से गुजरना पड़ता है कि वे कौन सा कार्य पहले करें और कौन सा बाद मे। महिलाओं मे प्रायः यह माना जाता है कि पद पर आसीन कामकाजी महिलायें सुख सम्पत्ती की स्वामिनी होती हैं। कामकाजी महिलाओं का कामकाजी होना उनके लिये सदैव प्रसन्नता का विशय नही होता है। कार्य क्षेत्र का दायित्व घर मे परिवार एवं बच्चो के दायित्व के साथ कामकाजी महिलाओं पर अनेक दायित्व भी होते हैं।

कामकाजी महिलाओं की स्थिति– भारत मे महिलाओं की स्थिति सदैव एक समान नही रही हैं। वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक उनकी स्थिति में निरन्तर उतार– चढ़ाव आते रहे हैं। उनके अधिकारों मे तद्नुरूप बदलाव भी होते रहे हैं आधुनिक काल मे नारी को समाज मे विशेष स्थान प्राप्त है। महिलायें राजनीतिक, सामाजिक तथा प्रशासनिक कार्यो और सामाजिक विकास की दृष्टि से समाज मे सम्मानित और प्रतिष्ठित स्थानो मे कामकाजी महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। भारत मे सन् 1951 से 2011 के बीच 70 वर्षों मे महिलाओं की स्थिति मे युगान्तरकारी परिवर्तन आया है। इस समय स्त्री शिक्षा का व्यापक प्रसार हुआ। स्त्रियो ने बुनियादी शिक्षा के साथ– साथ व्यावसायिक शिक्षा को भी ग्रहण किया है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश मे स्त्रियो की साक्षरता का प्रतिशत 65.46 तथा पुरूषों मे 82.14 है। जिससे पर्दा प्रथा, बाल विवाह आदि कुरीतियो का प्रचलन कम हुआ है और सामाजिक जीवन मे महिलाओं की सहभागिता मे निरन्तर वृद्धि हुई है।

कामकाजी महिलाओं के कानूनी अधिकार– महिला की सुदृढ़ सम्मानजनक स्थिति एक उन्नत एवं मजबूत समाज का द्योतक है। भारतीय संविधान महिलाओं को पूर्ण समानता प्रदान करता है। संविधान मे भाग–3 के अन्तर्गत 'मूल अधिकारो' के रूप मे भी महिलाओं को मानव अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान मे अनुच्छेद 14 मे प्रत्येक नागरिक महिला एवं पुरूश को विधि के समक्ष संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 15 (3) महिलाओं को राज्य के पक्ष मे सकारात्मक कदम उठाने का अधिकार अनुच्छेद 16 के आधार पर महिलाओं को लोक नियोजन में समान अवसर प्राप्त है। अनुच्छेद 24 मानव दुर्व्यवहार बलात श्रम तथा शोषण के विरूद्ध अधिकार देता है। संविधान के भाग 4 मे राज्य द्वारा अनुशरणीय नीति निर्देशक में स्त्री–पुरूष को समानता प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 39 जीविकोपार्जन के समान अधिकार तथा समान कार्य के समान वेतन का प्रवधान करता

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- III, Issues-25, YEAR- July-Sept.-2022

है अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत तथा प्रसूति सहायता का उपवन्ध है। अनुच्छेद 43 मे न्यूनतम मजदूरी का प्रवधान है तथा महिलाओं मे अधिकार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

42वॉ संविधान संशोधन 1976 के बाद मूल कर्तब्यों के प्रावधानों में नागरिक का कर्तब्य है कि महिला का सम्मान करें। यथा अनु0 325 एवं 326 सभी नागरिक को महिला एवं पुरूश दोनो की वयस्क मताधिकार मे लिंग भेद का निशेध करते हैं।

भारत मे विधि शासन के अनुसार महिलाओं के प्रतिनिधित्व के आधार पर संविधान मे 33 प्रतिशत महिला प्रतिधित्व की व्यवस्था की गई है। उपर्युक्त संवैधानिक प्रावधानो के अतिरिक्त प्रदत्त विधियो द्वारा महिला अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया गया यथा कारखाना अधिनियम 1948 संशोधित 2003 के अनुसार महिला कार्यकारों के लिये अलग शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिये। तथा 30 महिला कामगारो पर कार्यस्थल पर 6 वर्ष की कम आयु के बच्चों हेतु पालनगृह की सुविधा होनी चाहिये।

मातृत्व लाभ अधिनियम 1956 संशोधित 2017–के तहत प्रत्येक महिला श्रामिक काल मे 22 सप्ताह तक संवैधानिक अवकाश प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

प्रसूति प्रासुविधा अधिनियम 1961 संशोधित 1996–के अन्तगर्त संगठित क्षेत्र मे नियोक्ता द्वारा गर्भधारण के चिकित्सकीय समापन, नसबन्दी तथा गर्भधारण के कारण होने वाली बीमारी की स्थिति मे मजदूरी सहित छुट्टी का प्रवधान है। समान परिश्रमिक 1976 संशोधित 1987–के तहत महिला कामकारो के समान कार्य के लिये पुरूषों के समान वेतन दिये जाने का प्रावधान है।

बन्धित श्रम पद्यति उत्पादन अधिनियम 1976–के अर्न्तगत पुरूषों और महिलाओं को सभी बन्धित श्रम पद्यति के उत्पादन परिणाम स्वरूप बन्धुवा मजदूरी की दासता से मुक्ति का प्रवधान है। इसके तहत पीड़ित व्यक्तियो के वांक्षित ऋण और पुनर्वास के लिये सहायता का भी उपवन्ध है।

अर्न्तराज्यिक प्रवासी कामगारों नियोजन का विनिमय और सेवा शर्त अधिनियम 1979–के तहत असंगठित क्षेत्र में महिलाओं के परिकल्पित संरक्षी उपायों में विस्थापन, भत्तों का भुगतान, मजदूरी दर, कपड़े धोने व शौचालय की पृथक व्यवस्था, समान वेतन, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा इत्यादि उपलब्ध कराने का प्रावधान है। कार्यस्थल पर यौंन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के प्रमुख प्रावधान है।

प्रास्तावित अधिनियम घरेलू नौकरानी के रूप मे कार्य करने वाली महिलाओं पर भी लागू होगा।

कानून के अन्तर्गत कार्यस्थल पर लैंगिक टिप्पणी या किसी भी तरह से शारीरिक लाभ उठाने अथवा गलत तरीके से छूने को अपराध की श्रेणी मे रखा गया है।

10 या उससे अधिक कर्मचारी वाले संगठन मे आन्तरिक शिकायत समिति बनाने का प्रावधान है अन्यथा नियोक्ता पर 50 हजार रूपये जुर्माना लगाया जायेगा।

निष्कर्ष– भारत सरकार, राज्य सरकारो, स्वयं सेवी संगठन एवं महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों के प्रयासों और आधुनिक शिक्षा पद्धति एवं नई चिन्तन शैलिये के फलस्वरूप कामकाजी महिलाओं की स्थिति संघर्स के बढ़ते प्रभाव से महिला सशक्तिकरण की दिशा मे कदम बढ़ें हैं। महिलाओं में ब्याप्त अशिक्षा अधिकारो के प्रति उदासीनता अज्ञानता आदि प्रमुख चुनौतियॉ है। मुख्य कार्यशील महिला जनसंख्या मे ग्रामीण क्षेत्र में जिले की भागीदारी मे बढ़ोत्तरी का कारण प्राथमिक क्षेत्र मे जुड़ाव, रोजगार से कहीं न कहीं जुड़े रहना है। अकार्यशील मे शहरी क्षेत्र मे प्रतिशत अधिक रहा है। जहॉ पर रूढ़िवादिता, दुष्प्रभाव व घरेलू कार्य में अधिक संख्या है। महिलाओं का पारिवारिक उद्योगों में कम भागीदारी से स्वरोजगार में कमी रही है। संवैधानिक अधिकारों के कानूनो की जानकारी के अभाव मे महिला शोशण को बढ़ावा मिलता है। इस तरह महिला कास्तकारो, शिल्पकारों, कामगारों यहॉ तक की लघु उद्यमियों की सुविधाओं एवं विकास के अवसरों मे कटौती स्पष्ट दिखती है। एक और गुणवत्ता की दौड़ मे महिलाओं को अतिरिक्त आर्थिक एवं मानसिक दबाव बढ़ रहें हैं। दूसरी ओर कार्य क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी में कमी रहने से असन्तुष्टि पैदा होती है।

उपाय/सुधाव– अनेक कानूनी प्रावधानों, अधिकारों के बावजूद भी कामकाजी महिलाओं की समस्यायें अपनी जगह साफ दिखाई देती हैं। इस स्थिति के लिये तथा इन विशम परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने के हेतु कुछ सुझाव इस प्रकार है।

1– भारत मे 2011 की जनगणना मे महिलाओं में साक्षरता का प्रतिशत 65.46 तथा पुरूषों में 82.14 प्रतिशत है। अशिक्षा के परिणाम स्वरूप महिला अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नही है। अतः इसके लिये स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
2– समाज में महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने और उन्हे रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाये जाने चाहिये।

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- III, Issues-25, YEAR- July-Sept.-2022

कौशल प्रशिक्षण के बाद ऋण सहायता प्रदान करनी चाहिये।

3– महिलाओं की सामाजिक जीवन मे सहभागिता बढ़ाने और उनके सर्वांगिण विकास के लिये आवश्यक है कि संविधान द्वारा प्रदत्त मूलाअधिकारों का ढ़ंग से गठित कर कार्यस्थलो मे पृथक प्रकोष्ठ में महिला कर्मियो की नियुक्ति की जानी चाहिये ।

4– सार्वजनिक स्तर से सम्बन्धित नीतियों मे महिलाओ की भागीदारी को बढ़ाना चाहिये ताकि महिलाओं की सुरक्षा रोजगार शिक्षा से जुड़ी समस्याओं को पहचाना जा सके।

5–महिलाओं के विभिन्न अधिकारों की प्राप्ति हेतु सम्बन्धित न्यायिक प्राक्रिया को अधिक सरल शीघ्रगामी तथा अल्पव्ययी बनाया जाये ताकि उसका लाभ महिलाओं को आसानी से उपलब्ध हो सके।

6– महिला सशक्तिकरण की दिशा मे नये परिदृश्य मे सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्रों मे महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाये ताकि वे अपने कामकाज के दौरान आने वाली समस्याओं को भली भॉति पहचानने मे मदद मिल सके

7– कामकाजी महिलाओं विशेषतः ग्रामीण क्षेत्र मे कृषि कार्य से जुडे एवं स्वरोजगार, आधारित योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्र पर ट्रेनिंग सेन्टर खोलने चाहिये।

8– कामकाजी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का सरकारी स्तर पर सार्वजनिक क्षेत्रों या निजी क्षेत्र उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाये ताकि वह अपनी सुरक्षा तथा कार्य के प्रति अधिक जुड़ाव को बढ़ाया जा सके।

9– ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की स्वास्थ्य सुविधा आधारित तकनीकि संचार से सुविधा का लाभ का लाभ उठाया जा सके ताकि स्वास्थ्य सुविधाओ से कामकाजी महिलाओं की संख्या मे बढ़ोतरी हो सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. भल्ला, एल.आर. राजस्थान का भूगोल कुलदीप पब्लिशिंग हाउस 2015 पृष्ठ–1.
2. ड़ा0 वसु 'डी. डी.' भारत का संविधान एक परिचयLixis Nexis Publication : 10वॉ संस्करण 2013, हरियाणा पृष्ठ 321.
3. उपरोक्त पृष्ठ 27–40.
4. पंकज गुप्ता, मानवाधिकार और महिलाये, साहित्यगार प्रकाशन जयपुर 2014 पृष्ठ 152– 156.
5. राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर उदयपुर संस्करण 22 मार्च 2017 पृष्ठ – 2.
6. गुप्ता सुभाशचन्द्र कार्यशील महिलाये एवं भरती समाज, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली 2004.
7. गौंड़ संजय, आधुनिक महिलायें और समाज उत्पीड़न, अत्याचार व अधिकार बुक इनक्लेब जयपुर, प्रथम संस्करण 2006.
8. डा0 सहारिया फूलसिंह वर्मा, देशराज, महिला सशक्तिकरण : यथार्थ एवं आदर्श बाबा पब्लिकेशन जयपुर प्रथम संस्करण 2018.
9. जनगणना सेन्सस आफ इन्डिया 1981, 1991, 2001, 2011.

*****